NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

Paper - 4 Corporate And Allied Laws
Question No. *1*: Compulsory
Answer any *five* from the rest

प्रश्न 1

(A) मिस्टर रामानुजम, देबारी फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड के एक संचालक, वित्तीय मामलों में कम्पनी के प्रदर्शन से सन्तुष्ट नहीं हैं। उन्होंने मिस्टर आनन्द राजा, एक सनद् लेखाकार (Chartered Accountant) को निवेदन किया कि वे उनकी ओर से कम्पनी की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करें। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय करें कि क्या उक्त कम्पनी मिस्टर आनन्द राजा को लेखा पुस्तकों के निरीक्षण के लिए मना कर सकती है? (4 Marks)

(B) सुप्रीम कैमिकल लि. की निर्गमित, अभियाचिका तथा चुकता पूंजी 2 करोड़ रूपये है जो 10 रूपये के 20,00,000 समता अंशों में विभाजित है। उपरोक्त कम्पनी में 800 सदस्य हैं। दमन एवं कुप्रबन्धन (Oppression and Mismanagement) से राहत के उद्देश्य से, एक याचिका (Petition) उचित विभाग (Appropriate Authority) के समक्ष दायर की गई जो 90 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित (Signed) है जिन्होंने कम्पनी के 1,00,000 समता अंश धारण कर रखे हैं। बाद में, 30 सदस्य, जिन्होंने याचिका पर हस्ताक्षर किये थे, अपनी सहमति वापस ले लेते हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय करें कि क्या उपरोक्त याचिका उचित है?

(5 Marks)

(C) मिस्टर गोपालसुन्दरम फतहनगर टैक्सटाइल लिमिटेड के एक संचालक ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति (Approval) लिये बिना कम्पनी से ऋण लिया। कम्पनी अधिनियम, 1956 में विहित प्रावधानों के अनुसार निर्णय करें क्या यह संभव है कि वह केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए आवेदन कर अथवा कम्पनी से लिये गये ऋण का पुर्नभुगतान (Refunding) करके अभियोग प्रक्रिया (Prosecution) से बच सके।

(5 Marks)

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा मिस्टर सत्यनारायण, सदस्य मावली स्कन्ध विनिमय के विरूद्ध एक गंभीर शिकायत प्राप्त की गई। वर्णन कीजिए कि सेबी (SEBI) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच के संबंध में तथा इस मामले में कदम उठाने के लिए कौनसी शक्तियों (Powers) का प्रयोग किया जाएगा।

(Marks)

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

उत्तर :–

(A) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा – 209 यह प्रावधान करती है कि कम्पनी की लेखा पुस्तकें तथा अन्य किताबें एवं प्रपत्र (Paper) व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी संचालक द्वारा निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे।

इस धारा के अन्तर्गत यह निरीक्षण अधिकार यह सीमा नहीं लगाता है कि इसका प्रयोग केवल संचालक व्यक्तिगत रूप से ही कर सकता है। Vakharia V/s Supreme General Film Exchange Co. Ltd. में निर्णय लिया गया कि एक संचालक के पास अधिकार है कि वह व्यक्तिगत रूप से लेखों की जाँच करे या अभिकर्त्ता (Agent) द्वारा जांच करवाए परन्तु यहाँ उस व्यक्ति को स्वयं के चयन में कोई उचित आपत्ति नहीं होनी चाहिए तथा अभिकर्त्ता द्वारा प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग उसके मालिक (Principal) के उद्देश्य को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

इस धारा के अन्तर्गत निरीक्षण का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। एक संचालक जिसे निरीक्षण से रोका या मना किया जाता है वह न्यायालय द्वारा अपने अधिकार को प्रवर्तनीय करवा सकता है। इस प्रकार देबारी फूड प्रोसेसिंग लि. के संचालक मिस्टर रामानुजन, मिस्टर आनन्द राजा को कम्पनी की लेखा पुस्तकों के निरीक्षण हेतु नियुक्त कर सकते हैं। अतः देबारी फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड मिस्टर आनन्द राजा को लेखा पुस्तकों के निरीक्षण के लिए मना नहीं कर सकती।

(B) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा – 399 के अनुसार, उस दशा में जब कम्पनी के पास अंश पूंजी है, निम्न में से न्यूनतम सदस्य दमन एवं कुप्रबन्धन (Oppression and Mismanagement) हेतु आवेदन करने के लिए योग्य हैं:

100 सदस्य; अथवा
कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 वाँ भाग दोनों में से जो भी कम हो अथवा;

सदस्य (समता अंशधारी तथा अधिमान अंशधारी दोनों) जो निर्गमित अंश पूंजी (Issued Capital) का 1/10 वाँ भाग से कम धारित न करते हों।

सुप्रीम कैमिकल लिमिटेड का अंशधारण तरीका (Shareholding Pattern) इस प्रकार है :–

2 करोड़ समता अंश पूंजी 800 सदस्यों द्वारा धारित।

दमन तथा कुप्रबन्धन (Oppression and Mismanagement) याचिका का समर्थन सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार किया गया :

(अ) सदस्यों की संख्या जिन्होंने याचिका दायर की : 90

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES रूपये

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

याचिका पक्ष होगी। अगर निम्न में से न्यूनतम द्वारा की गई है:

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

100 सदस्य;

80 सदस्य (800 सदस्यों का 1/10 वाँ भाग),

सदस्य धारण 20,00,000 अंश पूंजी (2 करोड का 1/10 वाँ भाग)

अतः 90 सदस्यों द्वारा दायर याचिका धारा – 399 में वर्णित योग्यता को पूरा करती है। इस प्रकार याचिका उचित है।

अंशधारी द्वारा दी गई सहमति (Consent) की गणना (Reckoned) कार्यवाही के प्रारम्भ में हो जाती है। प्रक्रियाकरण के समय अंशधारी द्वारा सहमति वापस ले लेने से याचिका की उपयुक्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः याचिका वैध है, इस तथ्य के बावजूद (Despite) कि 30 सदस्य जिन्होंने याचिका पर हस्ताक्षर किये थे, बाद में अपनी सहमति वापस ले चुके हैं।

(C) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा – 295 के अनुसार एक सार्वजनिक कम्पनी अपने किसी भी संचालक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऋण केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं दे सकती।

चूंकि अधिनियम पूर्व अनुमति की कल्पना करता है। अतः केन्द्र सरकार किसी भी प्रार्थना पर अनुमोदन नहीं कर सकती जहां संचालक को पहले ही ऋण दे दिया गया है।

फतहनगर टैक्सटाईल लिमिटेड द्वारा इस प्रकार धारा 295 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन (Contravene) किया गया है तथा इस अपराध के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो कि इस इस उल्लघंन को जानते हुए पक्षकार (Knowingly a Party) है, मिस्टर गोपालसुन्दरम, एक संचालक फतहनगर टैक्सटाईल लिमिटेड, जिनके द्वारा ऋण लिया गया है, को शामिल करते हुए या तो अर्थदण्ड द्वारा जो कि रूपये 50,000 की सीमा तक हो सकता है या फिर सामान्य कारावास (Simple Imprisonment) द्वारा जो कि 6 माह की अवधि तक हो सकता है से दण्डित किये जायेंगे। (धारा 295 (4))

तथापि जहाँ पर उपरोक्त ऋण का पूरा भुगतान कर दिया जाता है, कारावास के रूप में दण्ड नहीं लगाया जाएगा और जहाँ कुछ ऋण चुकाया गया है, अधिकतम दण्ड जो कारावास के रूप में लगाया जाएगा आनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

अतः ऋण का पूरा भुगतान कर मिस्टर गोपालसुन्दरम के लिए संभव कारावास के रूप में दण्ड से बचा जा सकता है परन्तु यह संभव नहीं कि अभियोग प्रक्रिया तथा दण्ड जो अर्थदण्ड के रूप में है से बचा जा सके।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मिस्टर सत्यनारायण, सदस्य मावली स्कन्ध विनिमय के विरूद्ध गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर सेबी (SEBI) निम्न शक्तियों का प्रयोग कर सकती है :

(i) सेबी (SEBI) अगर सन्तुष्ट है कि यह व्यापार के हित (Interest of The Trade) एवं जनहित (Public Interest) में है, जाँच के सम्बन्ध में लिखित में आदेश देकर, सदस्य को बुलाएगी तथा लिखित सूचना एवं स्पष्टीकरण की मांग करेगी।

(ii) सेबी (SEBI) सूचनाओं के लिए बुलाने की बजाय जाँच के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी और स्कन्ध विनिमय के प्रशासनिक निकाय (Governing Body) को जाँच के सम्बन्ध में तथा प्रतिवेदन (Report) सेबी (SEBI) को जमा कराने के सम्बन्ध में निर्देश देगी। **[**धारा 6 (3) (इ)**]**

प्रतिकूलता पता लगने की स्थिति में सेबी मावली स्कन्ध विनिमय को मिस्टर सत्यनारायण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जैसे अर्थदण्ड, सदस्यता से निष्कासन (Expulsion), विनिर्दिष्ट समय के लिए सदस्यता से निलम्बन (Suspension) और मुद्रा के भुगतान को छोड़कर इस प्रकार की अन्य कोई शास्ति हेतु निर्देशित करेगी।

उपर्युक्त सजा स्कन्ध विनिमय के उपनियम (Bye-Laws) द्वारा प्रदान की जाती है। **[**धारा 9 (3) (इ)**]**

मावली स्कन्ध विनिमय सेबी द्वारा निर्देशित कार्य करने हेतु बाध्य (Obligation) है।

प्रश्न 2

(A) हाईटेक इन्जीनियरिंग लिमिटेड जो कि अभियांत्रिकी निर्माण (Engineering Construction) और सीमेन्ट उत्पादन (Cement Manufacturing) के व्यवसाय में लगी हुई है, अपने अभियांत्रिकी निर्माण के मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित करने एवं इसके सीमेन्ट व्यवसाय को प्रीमियर सीमेन्ट लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरण (Demerge) करने का निर्णय करती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार वे चरण (Steps) बताइए जो हाईटेक इन्जीनियरिंग लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित अविलय (Proposed Demerger) को प्रभाव में लाने हेतु लिये जाएंगे। (8 Marks)

(B) संचालक मण्डल की सभा के संबंध में उन कानूनी आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए जो एक सार्वजनिक कम्पनी द्वारा पालन करनी पड़ती है?

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय कीजिए कि क्या निम्न व्यक्तियों को संचालक मण्डल की सभा का नोटिस प्रेषित करना

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(2) हितधारक सचालक

(3) निदेशक जिसने उस संचालक मण्डल की सभा में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की हो।

(4) एक निदेशक जो विदेश में चला गया हो।

(8 Marks)

उत्तर :–

(A) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा – 394 के अनुसार हाईटेक इन्जीनियरिंग लिमिटेड अपने सीमेन्ट व्यवसाय का अविलयन (Demerger) प्रीमियर सीमेन्ट के साथ न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके कर सकती है। इस उद्देश्य हेतु हाईटेक इंजीनियरिंग लि. के लिए आवश्यक है कि निम्न कदम (Steps) उठाये जाएं :–

(1) हाईटेक इंजीनियरिंग लि. जो कि इस उद्देश्य के लिये हस्तान्तरक कम्पनी जानी जाती है को एक स्कीम बनानी होगी जिसके अन्तर्गत सीमेन्ट व्यवसाय के संबंध में इसकी सम्पत्तियों एवं दायित्वों का प्रीमियर सीमेन्ट लि. जो कि इस उद्देश्य के लिए हस्तांतरिती कम्पनी जानी जाती है के पक्ष में हस्तान्तरण किया जाएगा। ऐसी स्कीम में हस्तांतरण के लिए प्रतिफल अनिवार्यतः शामिल किया जाता है जिसे ''विनिमय अनुपात'' (Exchange Ratio) कहते हैं।

(2) एक आवेदन धारा 391 (1) के अन्तर्गत न्यायालय को किया जाएगा जिसमें लेनदार द्वारा सदस्यों की सभा आयोजित करने के लिए न्यायालय आदेश देगा।

(3) सभा की सूचना सदस्यों/लेनदारों को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक रूप से भेजी जाएगी। ऐसी सूचना वर्णित अधिनियम की धारा 393 (1) के वाक्यों के अनुसार समझौते एवं एकीकरण (Compromise or Arrangement) की अवधि के संबंध में एवं इसके सामान्य एवं विशेष प्रभाव के वर्णन, प्रबन्धकीय व्यक्ति के हितों पर प्रभाव के संबंध में आवश्यक रूप से सूचित किया जाना चाहिये।

(4) उपरोक्त सभा को चलाने एवं स्कीम को अनुमोदित करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव पारित करने होंगे जो कि न्यायालय की पुष्टि द्वारा नियंत्रित है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 391 (2) के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रस्ताव बहुमत संख्या द्वारा पारित किया गया हो जो कि कुल सदस्यों/लेनदारों के 3/4 भाग का प्रतिनिधित्व करता हो।

(5) तत्पश्चात् हाईटेक इन्जीनियरिंग लि. तथा प्रीमियर सीमेन्ट लि. स्कीम के अनुमोदन हेतु समस्त सारवान तथ्यों के प्रकटीकरण के साथ न्यायालय को संयुक्त रूप से आवेदन करेंगी। धारा 391 (2) का

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

दन के

ो होगी

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON [WhatsApp] BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON [WhatsApp] AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त कोई भी प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखा जाएगा।

(6) न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर, हाईटेक इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार को पंजीकरण हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जमा करवानी होगी। कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रमाणित प्रति जमा कराना आवश्यक है अन्यथा अनुमोदन आदेश अप्रभावी हो जाता है।

(7) अंत में स्कीम को न्यायालय के अनुमोदन के अन्तर्गत जैसा निर्देशित किया हो उस प्रकार प्रभावी रूप देते हुए आगे बढ़ाना होगा।

(B) संचालक मण्डल की सभा के संबंध में वैधानिक आवश्यकताएं जो सार्वजनिक कम्पनी द्वारा पालन करनी आवश्यक हैं:–

(1) सभा की संख्या (Frequency of Meeting) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के अनुसार संचालक मण्डल की सभा तीन माह में कम से कम एक बार और प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार सभाएँ आयोजित होनी चाहिए।

(2) सभा की सूचना (Notice of Meeting) :– धारा 286 के अनुसार कम्पनी की संचालक मण्डल की प्रत्येक सभा की लिखित सूचना भारत में उपस्थित सभी निदेशकों को तथा प्रत्येक अन्य निदेशक को भारत में उसके सामान्य पते पर दी जाएगी।

(3) सभा की कोरम/गणपूर्ति (Quorum for Meeting) :– धारा 287 के अनुसार संचालक मण्डल की सभा के लिए कोरम से आशय संचालक मण्डल की कुल शक्ति (Total Strength) का 1/3 वाँ भाग (1/3 में निहित कोई भिन्न एक के रूप में निकटतम की जाएगी। (Any fraction contained in that one third being rounded off as one) अथवा दो संचालक जो भी अधिक हो।

(4) स्थगित सभा (Adjourned Meeting):– अधिनियम की धारा – 288 के अनुसार संचालक मण्डल की सभा यदि कोरम पर्याप्त न होने के कारण नहीं हो सकी तो जब तक अन्तर्नियम (Article) अन्यथा कुछ न करें, सभा स्वतः ही अगले सप्ताह में उसी दिन उसी समय तथा उसी स्थान के लिए स्थगित हो जाती है तथा यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके अगले दिन जिस दिन सार्वजनिक अवकाश न हो तक के लिए स्थगित हो जाती है।

संचालक मण्डल की सभा की सूचना :

(1) वैकल्पिक निदेशक (Alternate Director) :– जब 3 माह से अधिक ... कल्पिक ... 313 के ... साथ ... जाएगी।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON [WhatsApp] BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON [WhatsApp] AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

यहां कोई विधिक वरीयता नहीं है, यह एक विवेकपूर्ण व्यवहार है जिसे धारा 286 के अन्तर्गत कठोरतापूर्वक समझना है।

(2) एक हितधारक निदेशक (Interested Director) :– एक निदेषक को नोटिस अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, चाहे उसे प्रस्तावित कारोबार (Business to be transacted) पर मत देने से मनाही हो।

(John Shaw & Sons (Salford) Ltd. vs Peter Shaw & John Shaw (1935) 2 KB 1132)

(3) अगर एक निदेशक अगली संचालक मण्डल की सभा में आने में असमर्थता व्यक्त करे (A Director who has expressed his inability to attend a particular Board Meeting)–अगर एक निदेशक अगली संचालक मण्डल सभा में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करता है तो भी उसे अनिवार्य रूप से नोटिस दिया जाएगा। (Re Portuguese Consolidated Coffee Mines Steel's Case 42 Ch. D. 160)

(4) निदेशक जो विदेश चला गया (A Director who has gone abroad):– एक निदेशक नोटिस पाने का अधिकारी है चाहे वह भारत के बाहर हो, यदि उस संचालक द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई हों जिससे कम्पनी उसे नोटिस प्रेषित कर सके। नोटिस प्राप्त करने का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता है।

(H.M. Ebrahim Sait v. South Indian Industrial Ltd. (1938) 8 Com Cases 308: AIR 1938 Mad 962 and Young v. Ladies Imperial Club, (1920) ALL ER Rep 223 (CA)).

प्रश्न 3

(A) घौशुण्डा रिफाइनरी लिमिटेड के वैधानिक अंकेक्षको ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 की उपधारा (2A) के अनुसार संचालकों के प्रतिवेदन (Board Report) में वर्णित कुछ कर्मचारियों के विवरण की सत्यता को सत्यापित नहीं किया। उपरोक्त अधिनियम की धारा 217 (2A) के अनुसार वे विवरण बनाइए जो प्रस्तुत करने आवश्यक हैं एवं विवरणों को सत्यापित करने के संबंध में उपरोक्त कम्पनी के अंकेक्षकों की वैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए। (8 Marks)

(B) मॉडर्न केमिकल्स लिमिटेड, एक सूचीबद्ध कम्पनी के प्रर्वतकों को समता अंशो का अधिमान निर्गमन प्रस्तावित करती है। सेबी (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2009 के सम्बन्ध में निम्न का उत्तर दीजिए :–

(1) प्रस्तावित अधिमान निर्गमन निर्गमित करने के लिए कम्पनी को किन ... ें।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(3) प्रवर्तकों को अधिमान आधार पर जारी किये अंशों की बाध्यता (Lock-in-period) अवधि क्या है?

(8 Marks)

उत्तर

(A) धारा 217 की उपधारा (2A) के अनुसार निम्न विवरण प्रस्तुत करने होंगे :–

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 की उपधारा (2A) के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में प्रत्येक कर्मचारी के नाम के विवरण को सम्मिलित करना होगा जो–

(1) अगर पूरे वित्तीय वर्ष नियोजित रहा एवं उस वर्ष के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक विर्निदिष्ट मूल्य से कम न हो जो कि 60 लाख रूपये है; या

(2) अगर वित्तीय वर्ष के कुछ भाग के लिए नियोजित रहा तो वर्ष के किसी भाग के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक विर्निदिष्ट मूल्य के प्रतिमाह मूल्य से कम न हो जो कि 5 लाख रूपये है, और

(3) अगर पूरे वित्तीय वर्ष या वर्ष के कुछ भाग के लिए नियोजित रहा हो, तो उस वर्ष के लिए उसका कुल पारिश्रमिक, या जैसी भी स्थिति हो उस दर पर उसका कुल जोड, प्रबन्धकीय निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक द्वारा प्राप्त किए गए पारिश्रमिक से अधिक हो तथा स्वयं द्वारा या अपने जीवनसाथी एवं निर्भर बच्चे द्वारा कम्पनी के समता अंश के 2 प्रतिशत से कम धारित न हों।

विवरण में यह भी बताना होगा कि–

(अ) क्या कोई भी कर्मचारी किसी भी निदेशक या प्रबन्धक का रिश्तेदार है, और अगर है, तो उस निदेशक का नाम, और

(ब) अन्य कोई भी विवरण जो विर्निदिष्ट किया गया है।

उपरोक्त विवरण को कम्पनी के अंकक्षेकों द्वारा सत्यापित कराना

धारा 227 के अनुसार, अंकेक्षक को उन प्रपत्रों पर प्रतिवेदन देने की आवश्यकताएं हैं जो चिट्ठे तथा लाभ हानि खाते का भाग है, अथवा उसके साथ संलग्न है। अंकेक्षण रिपोर्ट हेतु कम्पनी की लेखा पुस्तकें, वित्तीय विवरण तथा उसके भाग को सम्मिलित किया गया है परन्तु बोर्ड रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं है जो कि धारा 217 के अनुसार चिट्ठे का भाग है।

इसके अतिरिक्त धारा 222 जो लेखों के साथ वे प्रपत्र जो उनके भाग हैं, से संबंधित है, भी यह स्पष्ट करती है कि बोर्ड रिपोर्ट वार्षिक लेखों के साथ संलग्न है। अतः सामान्यतः अंकेक्षण रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट में वर्णित विभिन्न

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

कर्मचारियों के विवरण का सत्यापित नहीं किया। अतः ऊपर दिए गए विधिक नियमों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंकेक्षक का मत उपरोक्त कम्पनी के संबंध में पूर्णतया उचित है।

(B) अधिमान निर्गमन की शर्तें :

72 (1) मॉडर्न केमिकल लि. विर्निदिष्ट प्रतिभूति का अधिमान निर्गमन कर सकती है, यदिः

(अ) अंशधारियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो;

(ब) प्रस्तावित आवंटियों द्वारा धारित सभी समता अंश यदि कोई है, अवास्तविक (Dematerialized) रूप में हो;

(स) जारीकर्ता मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जहाँ जारीकर्ता के समता अंशों को सूचीबद्ध किया गया है के साथ किए गए सूचीकरण अनुबंध में तथा विनिर्दिष्ट समता अंशो के निरन्तर सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है।

(द) जारीकर्ता ने प्रस्तावित आंवटियों से स्थाई लेखा संख्या प्राप्त कर ली हो।

स्पष्टीकरण (Explanation) :– जहाँ कोई व्यक्ति जो प्रवर्तक (प्रवर्तकों) या प्रवर्तक संघ से संबन्धित है संगत तिथि (Relevant date) से पूर्व के छः महीने के दौरान जारीकर्ता के समता अंशों को बेचता है। उपरोक्त प्रवर्तक (प्रवर्तकों) या प्रर्वतक संघ विनिर्दिष्ट प्रतिभूति को अधिमान रूप में आंवटन हेतु अयोग्य होगा।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति जो प्रर्वतक (प्रवर्तकों) या प्रवर्तक संघ से संबन्धित है, ने पूर्व में जारीकर्ता के वांरट अभियोजित किये परन्तु वारन्ट में व्यवहार नहीं कर सका है तो उपरोक्त प्रवर्तक (प्रवर्तकों) या प्रवर्तक संघ जारीकर्ता के अधिमान प्रतिभूति को अभियोजित करने में निम्नतिथि से 1 वर्ष के लिये अयोग्य हो जायेगा–

(अ) परिवर्तन के विकल्प को नहीं लेने की वजह से वांरट की अवधि समाप्त होने पर।

(ब) वारन्ट को रद्द करने की तिथि जैसी भी स्थिति हो (as the case may be)

समता अंशों का मूल्य :

72 (1) मॉडर्न केमिकल लिमिटेड के समता अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

धेक के से कम

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(अ) संगत तिथि के पहले के छब्बीस (26) सप्ताहों के दौरान स्कन्ध विनिमय में उद्घृत (Quoted) किए गए उसी वर्ग के समता अंशों की साप्ताहिक उच्च एवं निम्न बंद कीमत के औसत मूल्य से; या

(ब) संगत तिथि के पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्कन्ध विनिमय में उद्घृत किए गए उसी वर्ग के समता अंशों के उच्च एवं निम्न बंद कीमत के औसत मूल्य से।

2. अगर समता अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर संगत तिथि से 26 सप्ताह से कम समय के लिये सूचीबद्ध है, समता अंश का निर्गमन मूल्य निम्न में से अधिकतम से कम मूल्य पर नहीं हो सकता:

(अ) वह मूल्य जिन पर समता अंश जारीकर्ता द्वारा सामान्य जनता को जारी किये गये अथवा प्रत्येक अंश का मूल्य कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 के अन्तर्गत स्कीम की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त किए गए, जिसके अन्तर्गत जारीकर्ता के समता अंश सूचीबद्ध हो, जैसी भी स्थिति हो; या

(ब) संगत तिथि से पूर्व की अवधि जिसमें अंष प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है उसी वर्ग के समता अंषों की बंद कीमत के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न कीमतों के औसत मूल्य पर।

(स) संगत तिथि से पहले के दो सप्ताहों के दौरान जिसमें प्रतिभूति प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है के दौरान उसी वर्ग के समता अंषों की बंद कीमत के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न कीमतों के औसत मूल्य पर।

3. जब समता अंशों का मूल्य उपविनिमय (2) की शर्तों के तहत निश्चित किया गया है तो ऐसे मूल्य का जारीकर्ता द्वारा अनुमोदित स्कन्ध विनिमय में सूचीबद्ध कराने की तिथि से 26 सप्ताह की समाप्ति पर स्कन्ध विनिमय में उद्घृत किए गए उसी वर्ग के समता अंशों की बन्द कीमत के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न कीमत पर पुनः निर्धारण किया जाएगा। यदि पुर्नगणित मूल्य आंवटन पर चुकाये मूल्य से अधिक है तो अन्तर की राशि आंवटन प्राप्तकर्ता (Allottees) द्वारा जारीकर्ता को चुकायी जाएगी।

स्पष्टीकरण :– उपरोक्त कानून के उद्देश्य हेतु स्कन्ध विनिमय से तात्पर्य कोई भी अधिसूचित स्कन्ध विनिमय जहाँ पर समता अंश सूचीबद्ध होते हैं तथा जहाँ पर जारीकर्ता के समताअंशों का संगत तिथि से पहले के सप्ताह में सर्वाधिक मात्रा में कुछ विक्रय रिकॉर्ड किए गए हैं।

विनिर्दिष्ट प्रतिभूति की बाध्यता अवधि (Lock-in-Period of specified securitiè) :

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

प्रमानित
क तथा
ल्प की
निर्दिष्ट

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427

PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रतिभूति के आवंटन की तिथि से या वारंट के विकल्प पर स्वीकार्यता के आधार पर आवंटित समता अंष, जैसी भी स्थिति हो, आवंटन की तिथि से तीन वर्ष रहेगी।

यह प्रावधान किया गया है कि जारीकर्ता की कुल पूँजी का 20 प्रतिशत से अधिक आवंटन की तिथि से तीन साल की बाध्यता अवधि तक नहीं रखा जा सकता है।

आगे यह प्रावधान किया गया है कि विकल्प के स्वीकार किये जाने तथा अन्य किसी आधार पर 20 प्रतिशत से ज्यादा समता अंशों के आवंटन किये जाने पर बाध्यता अवधि इनकी आंवटन की तिथि से एक वर्ष की होगी।

प्रश्न 4

(A) मिस्टर किशोर, AB लिमिटेड एवं च्फ लिमिटेड के संचालक हैं। AB लिमिटेड द्वारा वार्षिक विवरणी नियमित रूप से फाइल की जा रही है। परन्तु वार्षिक लेखे (Annual Accounts) वर्ष 31 मार्च 2009, 2010 एवं 2011 के फाइल नहीं किये हैं। AB लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (PFI) से लिये गये ऋण पर ब्याज 1 अप्रैल, 2011 से भुगतान नहीं किया गया तथा जनता से ली गई जमाओं के 1 अप्रैल, 2012 को परिपक्व होने पर भी भुगतान में चूक की गई। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न का उत्तर दीजिए:

(1) क्या मिस्टर किशोर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (g) के अन्तर्गत अयोग्य हैं तथा अगर अयोग्य हैं तो क्या संचालक AB लिमिटेड में अपने पद को जारी रख सकते हैं तथा PQ लिमिटेड की सितम्बर 2013 में होने वाली वार्षिक साधारण सभा में चक्रण द्वारा निवृत्ति होने पर पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं?

(2) मिस्टर किशोर जून, 2013 में XY लिमिटेड के अतिरिक्त संचालक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित हैं। क्या वह XY लिमिटेड के अतिरिक्त संचालक पद पर नियुक्ति हेतु योग्य हैं?

(8 Marks)

(B) मोरबनी वुड्स लिमिटेड, मिस्टर वाहिद को 5 सालों के लिए 1 मई, 2013 से प्रबन्ध संचालक पद पर नियुक्त करने का निश्चय करती है। मिस्टर वाहिद कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसूची XIII के भाग I व भाग II में वर्णित शर्तों को पूरा करता है।

नियुक्ति की शर्तें नीचे प्रदान की गई हैं–

(1) वेतन: 1 लाख प्रतिमाह

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES गया

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(3) आधलाभ :

- किराया मुक्त आवास,
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति रूपये 10,000 प्रतिमाह तक,
- छुट्टी यात्रा रियायत (परिवार को),
- क्लब सदस्यता शुल्क,
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 10 लाख,
- ग्रेच्युटी, और
- भविष्य निधि (कम्पनी शर्तानुसार)

आप वर्णित कम्पनी के सचिव हैं, ऊपर वर्णित बातों को प्रभाव में लाकर एक संकल्प बनाएं (Resolution), यह मानते हुए कि मिस्टर वाहिद पहले से ही सार्वजनिक सीमित कम्पनी में प्रबन्धकीय संचालक हैं।

(8 Marks)

उत्तर

(A) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (g) के अनुसार वह व्यक्ति जो कि पहले से ही एक सार्वजनिक कम्पनी का संचालक है, संचालक नियुक्त होने से अयोग्य हो जाएगा, अगर सम्बन्धित कम्पनी द्वारा –

(अ) 1/4/1999 से और उसके बाद लगातार 3 वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखे और वार्षिक विवरणी जमा नहीं करवाई है; अथवा,

(इ) भुगतान तिथि पर उसकी जमाएं तथा ब्याज के भुगतान में या ऋणपत्र के शोधन में या लाभांश चुकाने में लगातार एक या अधिक सालों से इस तरह की विफलता या चूक की हो।

ऐसा व्यक्ति किसी अन्य सार्वजनिक कम्पनी में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है उस पांच वर्ष की अवधि के लिए, जो उस तिथि से प्रारम्भ होती है जब वह उस सार्वजनिक कम्पनी (जिसका वह संचालक है) ने उपर्युक्त (अ) या (ब) में वर्णित चूक की है।

(i) यहाँ मिस्टर किशोर AB लिमिटेड व च्क लिमिटेड में संचालक हैं। AB लिमिटेड वार्षिक विवरणी दाखिल करने में नियमित थी किन्तु तीन वर्ष जो समाप्त होते हैं, 31 मार्च 2009, 2010, 2011 के वार्षिक खाते फाइल नहीं करती है। अयोग्यता जो धारा 274(1)(g)(A) में वर्णित है, लागू नहीं होगी जब तक कि कम्पनी दोनों मामलों में अर्थात लगातार तीन वर्षों की वार्षिक : धारा हैं।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

यहा AB लिमटेड सावजानिक वित्तीय सस्थान स लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान 01/04/2011 व उसके बाद करने में चूक करती है तथा जनता से ली गई परिपक्व जमा का भुगतान 01/04/2012 या उसके बाद करने में चूक करती है। वित्तीय संस्थान से लिए ऋण पर ब्याज के भुगतान करने में चूक धारा 274(1)(g)(B) में सम्मिलित नहीं है। लेकिन चूंकि AB लिमिटेड देय तिथि पर जमाओं का पुनर्भुगतान करने में चूक करती है और यह चूक लगातार एक वर्ष से अधिक अवधि की है। अतः मिस्टर किशोर धारा 274(1)(g)(B) के अंतर्गत अयोग्य हैं।

अयोग्यता उसी दिन से लागू होगी जिस दिन से चूक के प्रभावी होने के बाद मिस्टर किषोर किसी भी दूसरी सार्वजनिक कम्पनी में संचालक के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्त किए जाएंगे। तब तक मिस्टर किषोर हर उस सार्वजनिक कम्पनी के संचालक का कार्यालय संभाल सकेंगे जहां के वो संचालक हैं। धारा 274(1)(g) व धारा 283 दोनों के अनुसार उन्हें अपना संचालक कार्यालय रिक्त करने की कोई आवष्यकता नहीं है, क्योंकि धारा 274(1)(g) के अनुसार अयोग्यता " किसी दूसरी सार्वजनिक कम्पनी" पर ही लागू होती है व धारा 283 उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिन परिस्थितियों में संचालक को अपना कार्यालय रिक्त करना पड़ता है।

सितम्बर 2013 में आयोजित होने वाली वार्षिक साधारण सभा (AGM) में विशेष क्रम में सेवानिवृत्त होने पर मिस्टर किशोर को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(ii) धारा 274(1)(g)(B) में वर्णित अयोग्यता के कारण जून 2013 के बाद मिस्टर किशोर XY लिमिटेड में अतिरिक्त संचालक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं।

(B) Draft Board Resolution

"Resolved that consent of all the directors present at the meeting be and is hereby accorded to the appointment of Mr. Wahid, who is already the Managing Director of another public limited company, and fulfills the conditions as specified in Part I and II of Schedule XIII of the Companies Act, 1956, as the Managing Director of the company for a period of 5 years effective from 1st May, 2013 subject to approval by a resolution of shareholders in a general meeting and that Mr. Wahid may be paid remuneration as follows:

(i) Salary of 1 Lakh per month

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

upto
Club

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

membership fee, Personal Accident Insurance of Rs. 10 Lakhs, Gratuity, Provident Fund etc.

Resolved further that in the event of loss or inadequacy of profits, the salary payable to him shall be subjected to the limits specified in Schedule XIII.

Resolved further that the Secretary of the company be and is hereby authorised to prepare and file with the Registrar of Companies necessary Return in respect of the above appointment.

Sd/

Board of Directors

Morbani Woods Limited

(**Note:** Since in the given case Mr. Wahid fulfills all the conditions for appointment of Managing Director as specified in Part I an II of Schedule XIII, approval of Central Government is not required)

प्रश्न 5

(A) अपकरण ;डपेमिंदबमद्ध का क्या अर्थ है। अपकरण के विरूद्ध कार्यवाही (Prosceedings) कौन आरम्भ कर सकता है तथा इस अपकरण (Misfeasance) हेतु कोई समय सीमा है? यह निर्णय करें कि मृत संचालक का विधिक उत्तराधिकारी, जिसके विरूद्ध अपकरण कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत कहां तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

(8Marks)

(B) नई विनियोजित बैंकिंग कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा लेखे तथा चिट्ठा फाइल करने की आवश्कता है। बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत लेखे तथा चिट्ठे निर्माण, हस्ताक्षरकरण एवं फाइल करने संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए एवं इस संदर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की भूमिका भी बताइये।

(8 Marks)

उत्तर

(A) अपकरण :– (Misfeasance)

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

ग्रा गया Act or झी जा

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

सकता है जो कम्पनी के लिए हानि व क्षति (Losses or Injuries) का कारण होती है। यद्यपि कम्पनी को होने वाली हानि धारा–543 में वर्णित नहीं की गई है, तथापि ऐसी हानि, कुव्यवहार की स्थिति में गर्भित (Implied) है। अपकरण का केवल वह कार्य जो कि कम्पनी को हानि का परिणाम देता है वह धारा–543 की सीमा में आएगा।

कार्यवाही की शुरूआत–उपर्युक्त स्थिति में प्रक्रिया की शुरूआत सरकारी परिसमापक या किसी लेनदार या अंशदायी द्वारा अपकरण तथा विश्वास के उल्लंघन के संबंध में न्यायालय में आवेदन करने पर की जा सकेगी, जो उपरोक्त व्यक्ति के आचरण की जांच करेगा, तथा धन तथा संपत्ति के पुनर्भुगतान एवं कम्पनी को क्षतिपूर्ति लौटाने के लिए विवश करेगा।

समय सीमा– आवेदन आरम्भ करने की समय सीमा समापन के आदेश प्राप्त होने की तिथि से पांच वर्ष अथवा प्रथम समापक की नियुक्ति पर अथवा अपकरण होने/भरोसे का उल्लंघन करने पर जो भी ज्यादा होगी।

विधिक प्रतिनिधि के दायित्व का विस्तार

संचालक की मृत्यु की दशा में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया है कि धारा–543 के अन्तर्गत परिसमापक, कम्पनी के दोषी संचालक के विरूद्ध जारी प्रक्रिया को उसके विधिक उत्तराधिकारी के विरूद्ध भी जारी रख सकेगा तथा अपकरण प्रक्रियाकरण के अन्तर्गत किसी भी राशि हेतु दायी होने पर वह राशि मृतक की उन परिसम्पत्तियों से वसूल की जाएगी जो विधिक उत्तराधिकारी के पास हैं। न्यायालय द्वारा आगे यह प्रतिपादित किया गया कि तथापि विधिक उत्तराधिकारी मृत संचालक की परिसम्पत्तियों के मूल्य से अधिक के लिए दायी नहीं होगा। **[Official Liquidator, Supreme Bank Ltd. v P.A. Tendolkar (1973) 43 Comp. (Case 382)] and [Official Liquidator vs. Parthasarthy Sinha (1983) 53. Comp. Case (SC) (3c)].**

अतः मृत संचालक के विधिक उत्तराधिकारी के विरूद्ध अपकरण प्रक्रिया जारी रहेगी।

(B) लेखा पुस्तकें तथा चिट्ठों को बनाने, हस्ताक्षर करने तथा फाइल करने के संबंध में प्रावधान।

लेखा पुस्तकें एवं चिट्ठा बनानाः–

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा–29 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी जो भारत में निगमित हुई है उसके द्वारा व भारत में उसकी समस्त शाखाओं द्वारा समस्त व्यापारिक व्यवहारों के संबंध में लेखांकन वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस पर चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता तीसरी अनुसूची के फार्म 'A' तथा 'B' के अनसार तैयार किये जायेंगे।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

क तथा जहां तीन से अधिक संचालक हों, वहां कम से कम तीन संचालकों द्वारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

तथा जहां तीन से अधिक संचालक नहीं है, वहां समस्त संचालकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। उस दशा में जब बैंकिंग कम्पनी भारत के बाहर निगमित हुई है, भारत में कम्पनी के मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

चिट्ठा तथा लाभ हानि खाते को जमा कराना/फाइल करना :

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 31 व 32 लेखा पुस्तकें तथा चिट्ठे को जमा कराने के संबंध में प्रक्रिया वर्णित करता है।

लेखा पुस्तकें एवं चिट्ठे को अंकेक्षक रिपोर्ट के साथ निर्धारित विधि में प्रकाशित किया जाएगा और उसकी 3 प्रतियां विवरणियों के रूप में उस अवधि जिसका उसमें संदर्भ दिया है की समाप्ति के 3 महीनों के अन्दर रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाएंगी। तथापि रिजर्व बैंक किसी भी मामले को आगामी 3 महीनों की अवधि तक बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं।

लेखा पुस्तकें एवं तुलन पत्र की तीन प्रतियां अंकेक्षक रिपोर्ट के साथ बैंकिंग कम्पनी द्वारा कम्पनी के रजिस्ट्रार को उसी समय भेजी जाएंगी जब वह त्ठप् को भेजी जाएंगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की भूमिका :

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान जो एक कम्पनी के लेखा पुस्तकों व चिट्ठों पर लागू होते हैं वही प्रावधान बैंकिंग कम्पनी के चिट्ठे व लाभ हानि खातों पर भी लागू होंगे, अगर प्रावधानों में असंगतता न हो तो।

प्रश्न 6

(A) साऊथर्न इण्डिया शुगर प्रोड्युसर कम्पनी लि. जिसकी चुकता अंश पूंजी 5 लाख तथा स्वतंत्र संचय 3 लाख है, निम्न ऋण एवं विनियोग हेतु प्रस्ताव करते हैं–

(i) मिस्टर राम जो कम्पनी के सदस्य हैं को 1 वर्ष के लिए 2 लाख रूपये का ऋण और मिस्टर शेखर जो कम्पनी के संचालक हैं को 6 माह के लिए 1 लाख रूपये का ऋण।

(ii) XYZ मार्केटिंग लि. के समता अंशों में 3 लाख रू. का विनियोग।

उपरोक्त के संबंध में कोई बाध्यता, अगर कोई है, एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई विधिक आवश्यकताएं जो पालन करनी हैं वर्णित करें।

(8 Marks)

(B) कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय करें कि क्या निम्न

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(ii) भारत के बाहर निगमित कम्पनी जिसके सभी अंशधारक भारतीय निवासी हैं;

(iii) भारत में निगमित कम्पनी जिसके समस्त अंश विदेषियों द्वारा धारित है।

यह निर्णय करें कि क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त कम्पनी इंडियन डिपॉजिटरी रसीद जारी कर सकती है?

(8 Marks)

उत्तरः–

(A) (i) सदस्यों को ऋण आदि :– कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZK के अनुसार ऋण प्रदान करने वाली कम्पनी के सदस्यों को अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न तरीके से बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है–

(अ) ऋण प्रदान करने वाली कम्पनी के व्यापार संबंधों के तहत उसके किसी सदस्यों को उधार सुविधा, जो 6 माह से अधिक समय के लिए न हो।

(ब) किसी सदस्य को प्रतिभूति के बदले ऋण और अग्रिम की सुविधा जो अन्तर्नियम में वर्णित है, उपरोक्त ऋण का पुनर्भुगतान उपर्युक्त ऋण और अग्रिम को प्रदान करने की तिथि से तीन माह की अवधि से ज्यादा के लिए परन्तु सात वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

तथापि, किसी भी संचालक एवं उसके रिश्तेदार को ऋण और अग्रिम देने से पूर्व साधारण सभा में सदस्यों की सहमति आवश्यक है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत, साऊथर्न इण्डिया शुगर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्य मिस्टर राम को 1 वर्ष के लिए ऋण प्रदान कर सकती है। चूंकि अधिनियम प्रावधान करता है कि बोर्ड द्वारा ऋण प्रदान किया जा सकता है जिसका पुनर्भुगतान तीन माह से अधिक अवधि का हो तथा सात वर्ष से अधिक का ना हो।

जबकि कम्पनी के संचालक द्वारा मिस्टर शेखर को ऋण सदस्यों की सामान्य सभा में सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रदान किया जा सकता है।

(ii) अन्य कम्पनी में विनियोगः–

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZL यह प्रावधान करती है कि एक उत्पादक कम्पनी (Producer Co.) स्वयं और सहायक कम्पनी के साथ उत्पादक कम्पनी के अलावा किसी अन्य कम्पनी के अंशों में विनियोग की दृष्टि से अनुमोदन या खरीद द्वारा या अन्य किसी तरीके से अपनी चुकता अंश पूंजी तथा स्वतंत्र संचय के 30% से

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

सामान्य की पूर्व

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

अनुमात प्राप्त करन पर उपराक्त सामा स आधक वानयाग कर सकती है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत साऊथर्न इण्डिया XYZ मार्केटिंग लि. में चुकता अंश पूंजी स्वतंत्र संचय के 30% से अधिक राशि विनियोग नहीं कर सकती जो कि 240000 रू. है (800000 रू. का 30%) तथापि सीमा से अधिक विनियोग करने हेतु सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर एवं केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

(B) विदेशी कम्पनी :–

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 विदेशी कम्पनी को परिभाषित करती है कि वह कम्पनी जो भारत के बाहर निगमित हुई है तथा जिसका एक व्यापार स्थान भारत में स्थित है, विदेशी कम्पनी है।

उपरोक्तानुसार विदेषी कम्पनी की योग्यता में निम्न दोनों तत्वों (Features) का होना जरूरी है:–

(1) वह कम्पनी जो भारत के बाहर निगमित हुई है, और

(2) उस कम्पनी का एक व्यापार स्थान भारत में स्थित है।

इसके साथ ही, यदि किसी विदेशी कम्पनी की न्यूनतम 50% प्रदत्त अंश पूंजी (भले ही समता या अधिमान या आंशिक समता व आंशिक अधिमान) भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित निकायों द्वारा एकल या कुल रूप से धारित हों तो कम्पनी अपने कारोबार के लिए भारतीय कम्पनी मानी जाएगी। वह अधिनियम के उन प्रावधानों का अनुपालन उस प्रकार से करेगी जैसे कि कम्पनी भारत में निगमित थी।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के अनुसारः

(i) भारत में कारोबार स्थल का अर्थ धारा 602 में वर्णित है जिसमें कारोबार स्थल में अंश अंतरण या अंश पंजीकरण कार्यालय भी शामिल है।

अतः वह कम्पनी जो भारत के बाहर निगमित हुई है तथा जिसका अंष पंजीकरण कार्यालय भारत में स्थित है, विदेषी कम्पनी कहलाएगी।

(ii) एक कम्पनी जो भारत के बाहर निगमित हुई है तथा जिसके समस्त अंशधारक भारतीय नागरिक हैं।

मान्यता 1 :– जिसका एक कारोबार स्थल भारत में है –

कम्पनी अधिनियम. 1956 की धारा 591 के अर्थों में वह कम्पनी जो ों मानी हो।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

अगर कम्पनी का व्यापार स्थल भारत में स्थित है तो कम्पनी अधिनियम की धारा 591 के तहत विदेशी कम्पनी मानी जाएगी।

उपरोक्त दी गई समस्या में समस्त अंश भारतीय नागरिक द्वारा धारित हैं। कम्पनी की स्थिति विदेशी कं. की तरह ही है, परन्तु इस कम्पनी को कम्पनी अधिनियम में वर्णित कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी जो उसके द्वारा भारत में व्यापार करने से संबंधित हैं, तो ही वह कम्पनी भारत में निगमित समझी जाएगी। अतः उपर्युक्त स्थिति में कम्पनी विदेशी कम्पनी है।

मान्यता 2 :– जिसका भारत में कारोबार स्थल नहीं है।

दी गई स्थिति में कम्पनी भारत के बाहर निगमित हुई है तथा उसका व्यापार स्थान भारत में नहीं है, ऐसी कम्पनी विदेशी कम्पनी नहीं होगी। कम्पनी का निगमीकरण भारतीय निवासी द्वारा किया गया है यह तथ्य इस हेतु असारवान (Immaterial) है। विदेशी कम्पनी हेतु भारत में एक व्यापार स्थान होना चाहिए।

(iii) एक कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(i) के अनुसार भारत में निगमित कम्पनी होगी, ऐसी कम्पनी विदेशी कम्पनी नहीं होगी चाहे कम्पनी के समस्त अंश विदेशी व्यक्तियों द्वारा धारित किये गये हैं।

भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जारी करना –

धारा 605A कम्पनी (इंडियन डिपॉजिटरी रसीद जारी) नियम 2004 बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाती है और जो भारत के बाहर निगमित कम्पनियों पर लागू होता है, चाहे कम्पनी ने भारत में व्यापार स्थल स्थापित किया हो या नहीं एवं करना चाहे या नहीं। इस धारा के अनुसार इंडियन डिपाजिटरी (IDRs) रसीद जारी करके भारत से कोष प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रकार–

(i) भारत के बाहर निगमित कम्पनी जिसका अंश पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली में है इंडियन डिपॉजिटरी रसीद जारी कर सकती है।

(ii) भारत के बाहर निगमित कम्पनी जिसके सभी अंशधारक भारतीय नागरिक हैं IDR जारी कर सकती है।

(iii) भारत में निगमित कम्पनी जिसके सभी अंश विदेशी व्यक्तियों द्वारा धारित हैं IDR जारी नहीं कर सकती है।

नोटः– प्रश्न 6(B) के भाग (ii) में कम्पनी के भारत में व्यापार स्थल के बारे में [illegible] मान्यताएं [illegible] गा कि

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

मान्यता 2 कम्पनी का व्यापार स्थल भारत में स्थित नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रश्न 7

कोई चार प्रश्न कीजिए।

(A) मिस्टर किशोर वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 182 दिनों से कम दिनों के लिए भारत में निवासी थे। वह व्यापार हेतु 1 अप्रैल, 2010 को भारत में आए। उन्होंने अपना व्यापार 30 अप्रैल 2011 को बंद किया तथा 30 जून, 2011 को भारत के बाहर रोजगार हेतु भारत छोड़ कर चले गये। विदेशी विनिमय प्रबन्धक अधि. 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 हेतु मिस्टर किशोर की निवासी स्थिति बताइए।

(4 Marks)

(B) बॉम्बे टेक्सटाईल लि. तथा गुजरात टेक्सटाईल लि. जो भारत में अपने उत्पाद का व्यापार करती है एकीकरण हेतु प्रस्तावित है। उपरोक्त एकीकरण से एक संस्था निर्मित होगी जिसकी सम्पत्ति का मूल्य 300 करोड़ रू. तथा वार्षिक आवर्त 1000 करोड़ होगा। निर्णय करें कि उपरोक्त एकीकरण, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों को प्रभावित करता है?

(4 Marks)

(C) ''काले धन को वैध बनाने'' (Money Laundering) का अर्थ सिर्फ धन को वसूलना नहीं है।

उपर्युक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए जिससे काले धन को वैध निवारक अधिनियम 2002 (Money Laundering Act, 2002) की महत्ता एवं लक्ष्य समझे जाएं।

(4 Marks)

(D) वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनःसंरचना तथा प्रतिभूति का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) के अन्तर्गत प्रतिभूतिकरण को विस्तार से समझाइए। (4 Marks)

(E) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 294(2) यह प्रावधान करती है ''यदि कम्पनी का निदेशक मण्डल किसी एकाय विक्रय अभिकर्ता (Sole Selling Agent) की नियुक्ति करता है, तो ऐसी नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि इसे अंशधारकों द्वारा नियुक्ति की तिथि के उपरांत हुई प्रथम साधारण सभा में स्वीकृत नहीं किया जाता है तो यह नियुक्ति वैध नहीं होगी।

उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत निर्णय करें कि यह प्रक्रिया अनिवार्य है अथवा निर्देशित है? अनिवार्य प्रावधान तथा निर्देशित प्रावधान में अन्तर स्पष्ट

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

Marks)

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

उत्तर

(A) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 की धारा 2(अ) के अनुसार एक व्यक्ति को भारत में निवासी व्यक्ति के रूप में योग्य माना जाएगा यदि वह पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन से ज्यादा रहा हो।

उपरोक्त स्थिति में, वित्तीय वर्ष 2009–10 में मिस्टर किशोर भारत में 182 दिन से कम निवासी रहा है अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 में उसे भारत में निवासी नहीं माना जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान मिस्टर किशोर भारत में 182 दिन से अधिक निवासी रहा है सामान्यतया वह वित्तीय वर्ष 2011–12 में भारत का निवासी रहता है, परन्तु उनके द्वारा रोजगार (Employment) हेतु 30 जून, 2011 को भारत छोड़ दिया गया। चूंकि वह 30 जून, 2011 से भारत में निवासी नहीं रहा है अतः किशोर वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी भारत में निवासी नहीं कहा जा सकेगा।

(B) धारा 5 उद्यमों तथा व्यक्तियों के संयोजन से व्यवहार (Deal) करती है। उद्यमों के एकीकरण को संयोजन (Combination) समझा जाएगा यदि एकीकरण के फलस्वरूप भारत में कुल सम्पत्ति 1000 करोड़ रू. से अधिक अथवा आवर्त 3000 करोड़ रू. से अधिक हो जाता है।

अतः वर्तमान स्थिति में बॉम्बे टेक्सटाईल लि. गुजरात टैक्सटाईल लि. का प्रस्तावित एकीकरण प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं कर रहा है क्योंकि सम्पत्ति मूल्य 300 करोड़ रू. एवं आवर्त (Turn Over) 1000 करोड़ रू. है जो प्रावधानों की सीमा के भीतर है।

(C) **"काले धन को वैध बनाने" का अर्थ सिर्फ धन को वसूलना नहीं है:**

काले धन को वैध बनाने से तात्पर्य वित्तीय क्रियाओं के द्वारा अवैध रूप से प्राप्त रोकड़ को बढ़ाने से है जिससे कि यह वैध रूप से प्राप्त किया हुआ लगे। इस प्रकार काले धन को वैध बनाने का अर्थ सिर्फ धन को वसूलना ही नहीं है। अपितु यह धन जो कि अवैध रूप से प्राप्त है का रूपान्तरण है।

काले धन को वैध निवारक अधि. 2002 को पैसे के माध्यम से अवैध कार्यों के विरोध के उद्देश्य से अभिनिहित किया गया है।

काले धन को वैध निवारक अधि. 2002 की महत्ता एवं उद्देश्य :–

प्रस्तावित अधिनियम काले धन को वैध बनाने की रोकथाम पर केन्द्रित है और यह काले धन से उत्पन्न सम्पति की जब्ती तथा उन मुद्दों के लिए है जो उसके साथ या सहायक रूप से सम्बद्ध है।

विद्यमान वैधानिक तंत्र को और मजबूत बनाने और प्रभावी रूप से काले धन को वैध बनाने का विरोध करने आतंकी रूप से वित्त पोषण एवं सीमापार

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

। नया
ो जांच
ण सेवा

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES" AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रदाता एवं क्रेडिट कार्ड आपरेटर भी काले धन का वैध निवारण अधि. की सीमा के अन्तर्गत लाए गए हैं। फलस्वरूप ये मध्यस्थ और इसी प्रकार कसीनो भी प्रवर्तन प्राधिकरण की शासन रिपोर्टिंग (Reporting regime) के अन्तर्गत लाए गए हैं। यह [illegible] के द्वारा प्रतिज्ञा पत्रों (वचन पत्रों) के दुरूपयोग की भी जांच (Check) करता है जिन्हें अब उनके स्त्रोत की पूरी जानकारी बतानी आवश्यक होगी। नया अधिनियम ''अपराध की आय'' के दुरूपयोग की भी जांच करेगा जो कि प्रतिबन्ध लगा दिए मादक (Narcotic) पदार्थ के विक्रय या अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधि. के उल्लंघन के द्वारा हो सकती है। काले धन को वैध की रोकथाम (संशोधन) 2009 के पारित होने से भारत की प्रविष्टि वित्तीय कार्यवाही कार्य बल (Financial Action Task Force - FATP) में हो गई है जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय है, जिसे काले धन को वैध बनाने एवं आतंकी वित्त पोषण के विरोध में आदेश देना होता है।

(D) वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधि. 2002, जून 2002 में अस्तित्व में आया। अधि. की प्रस्तावना कहती है कि यह अधि. वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति (सुरक्षा) हितों के प्रवर्तन एवं वे मुद्दे जो उसके साथ या सहायक रूप से जुड़े हों के नियमन के लिए अभिनिहित किया गया है।

भारत में प्रतिभूतिकरण की विधिक व्यवस्था की उत्पत्ति प्रतिभूतिकरण/परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी को स्थापित करने के लिए हुई है जो कि ऐसे बैंकों एवं लोक वित्तीय संस्थाओं से गैर प्रदर्षन परिसम्पत्तियों का कब्जा ले सकें।

(The legal framework for securitisation in India emerged to promote the setting up of asset reconstruction/ securitisatio companies, which are supposed to take over the Non Performing Assets (NPA) accumulated with the banks and public financial institutions.)

यह अधि. ऋणदाताओं व प्रतिभूतिकरण/परिसम्पति पुनर्निर्माण कम्पनी को बिना अदालत का सहारा लिये, उन्हें ऋणदाताओं की परिसम्पत्तियों पर कब्जा करने की विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

नोटः– प्रतिभूतिकरण के सिद्धांतों का वर्णन निम्न दो दृष्टिकोण से भी किया जा सकता हैः–

दृष्टिकोण 1:–

प्रतिभूतिकरण :– प्रतिभूतिकरण अर्थात् एक प्रवर्तक से किसी भी प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुनर्निर्माण कम्पनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का

... के लिए

वित्तीय

... र किया

जाए। (Sec. 2(z))

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

बैंक/वित्तीय संस्थाएं, (जो प्रवर्तक जाने जाते हैं) वास्तविक ऋणदाताओं को परिसंपत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण देती हैं। ऐसे ऋण या प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में जाने जाते हैं (धारा 2(i))। ये वित्तीय परिसंपत्तियां प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुनर्निर्माण कम्पनी द्वारा प्राप्त की जाती हैं। (ये SPV के रूप में जानी जाती हैं।) (known as SPV - Special Purpose Vehicle) SPV सुरक्षित रसीद जारी करती है, जो निवेशकों (यानि योग्य सांस्थानिक खरीददार QIB) को वितरित की जाती है। SPV खरीदी सम्पति के लिए, प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्ति में से बैंक व वित्तीय संस्थान को भुगतान करती है।

संक्षेप में, प्रतिभूतिकरण पैसे के लिए प्राप्तियों की बिक्री के माध्यम से धन जुटाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई गई विधि है। ये अनअर्जक प्राप्तियां हैं क्योंकि ये प्राप्तियां गैर प्रदर्शन परिसंपत्तियां हैं।

दृष्टिकोण 2 :–

प्रतिभूतिकरण

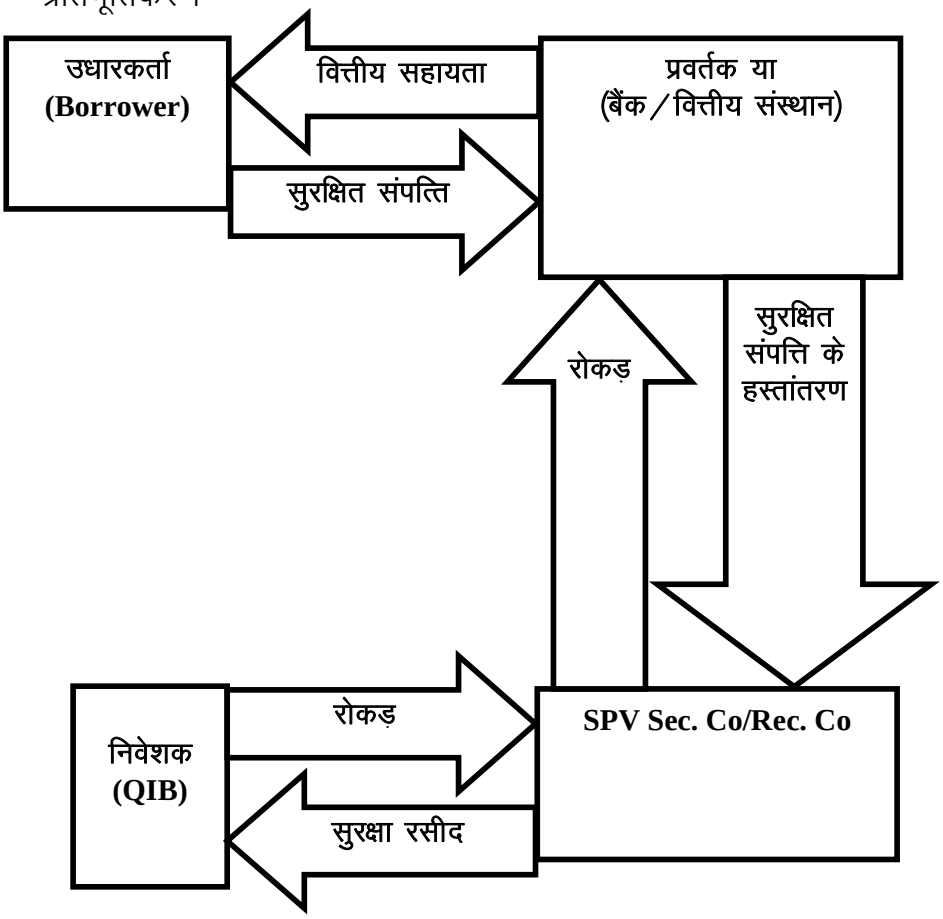

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

...र्ता की
...र्ता की
नियुक्त कम्पनी की सामान्य सभा में की जाएगी तथा उपयुक्त उपधारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

एकल विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। उपर्युक्त उपधारा के पालन न करने पर नियुक्ति प्रारम्भ से व्यर्थ होगी।

(Arante Manufacturing Corp. vs. Bright Bills Private Ltd. 1967 Com. Case 759 and Shelegram Jhaigharia vs. National Co. Ltd. 1965 Comp. Cas. 706)

यदि कम्पनी साधारण सभा में नियुक्ति को मनाही करती है तो यह साधारण सभा की तिथि से व्यर्थ होगी।

आवश्यक एवं निर्देशित प्रावधान में अन्तर :–

प्रावधान जो कि आवश्यक है और एक जो कि निर्देशित है में अन्तर है कि जब यह 'आवश्यक' है तो यह कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। जब यह निर्देशित है तो यह पर्याप्त होगा कि यह सारवान रूप से पालन किया जाए। आवश्यक प्रावधानों' की अपालना का परिणाम अवैधता होगी, लेकिन निर्देशित प्रावधानों की अपालना अवैधता का अनुक्रम बंधन नहीं करेगी, चाहे परिणाम कुछ भी होवे।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India